आवश्यक आज ही/जरिये ई-मेल

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

कारा/भवन/1/2015-16/5/नवीन महिला जेल/ 43295-96 दिनांकः 14/11/18

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह,
भरतपुर।

विषयः—राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन ।
प्रसंगः—शासन उप सचिव गृह (ग्रुप—12) विभाग जयपुर के पत्र क्रमाक प.9(3)गृह—12/कारा/2018 दिनांक 02.11.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की छांया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, भरतपुर को अधिसूचना संख्या प.9(3)गृह—12/कारा/2018 दिनांक 23.07.2018 को राजस्थान राजपत्र के अंक ई.ओ. दिनांक 24.07.2018 भाग 1 (ख) के पृष्ठ संख्या 199 पर प्रकाशित कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(ओम प्रकाश शर्मा)
अधीक्षक
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः— प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अधीक्षक
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान,जयपुर

33

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–12)विभाग

क्रमांक : प.9(3)गृह–12/कारा/2018 जयपुर, दिनांक 02 NOV 2018

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन।
संदर्भः– आपका पत्रांक कारा/भवन/1/2015–16/5/नवीन महिला जेल/21014 दिनांक 28.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, भरतपुर को अधिसूचना संख्या प. 9(3)गृह–12/कारा/ 2018 दिनांक 23.07.2018 को राजस्थान राजपत्र के अंक ई.ओ. दिनांक 24.07.2018 भाग 1(ख) के पृष्ठ संख्या 199 पर प्रकाशित कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव

Date 02 NOV 2018

1152
5/11/2018

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 2, मंगलवार, शाके 1940– जुलाई 24, 2018 *Sravana 2, Tuesday, Saka 1940–July 24, 2018*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप–12) विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 23, 2018

संख्या प.9(3)गृह–12/कारा/2018 :–यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम –9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय कारागृह भरतपुर के परिसर में नव निर्मित महिला बंदी सुधारगृह ग्राम सेवर कलां के आ.ख.नं. 999 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 1000/2347 रकबा, 0.09 हैक्टेयर एवं 1001 रकबा 1.39 हैक्टेयर में आंशिक रूप से निर्मित है। यह खसरा नंबरान मुताबिक रिकॉर्ड महकमा जेल के नाम दर्ज है। इस भवन के पूर्व दिशा में हाईवे है, भवन के पश्चिम दिशा में मिलिट्री एरिया है व उत्तर दिशा में जेल की खाली भूमि है, दक्षिण दिशा में बंदी खुला शिविर है। नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह भवन का कुल क्षेत्रफल 62375.00 वर्ग फीट है। इस क्षेत्र को एतद्द्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कैलाश चन्द,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।